

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फॉर्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण:-

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/
- परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा-नालीवाला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- (ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि-
और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। संलग्न है।
- (ग) परियोजना की लागत। - 337.27 लाख ✓
- (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। - अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।
- (ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)। संलग्न है।
- (च) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है। - सड़क मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 5000 मानव दिवस।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार -
विवरण।

आरक्षित वन भूमि	-	3.7100 है०
आरक्षित भूमि डम्पिंग हेतु	-	0.5100 है०
वन पंचायत भूमि	-	0.0000 है०
सिविल सोयम भूमि	-	0.0000 है०
नाप भूमि मोटर मार्ग हेतु	-	0.1800 है०
नाप भूमि डम्पिंग हेतु	-	0.1800 है०
कुल भूमि	-	4.5800 है०
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। लागू नहीं है।
 - (क) परिवारों की संख्या - शून्य
 - (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। - शून्य
 - (ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)। - शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है?

संलग्न है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसूचक और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाय)।

संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

दिनांक 03/01/2024

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान- देहरादून

नाम- V.K. Dangwal
Executive Engineer
I.D.P.M.S.Y. Dehradun.


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून

प्रस्ताव की क्रम सं०.....

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)।

कार्य का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-5.500 कि०मी०)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०.....

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा-नालीवाला तक मोटर मार्ग सड़क मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.2200 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग देहरादून को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग मसूरी
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है० में	4.2200 है० वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	4.2200 है० आरक्षित वन भूमि 0.0000 है० वन पंचायत भूमि 0.0000 है० सिविल सोयम भूमि 4.2200 है० कुल वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल-2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल-4 मी० भी संलग्न किये जाये	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल शून्य वृक्ष बाधित हैं जिनमें बांज वृक्षों की संख्या 101 है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या..... से तक संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के भूवैज्ञानिक की भूगर्भीय आख्या दिनांक 10/06/2021 संलग्न-प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या से तक चस्पा है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल मसूरी रेंज से गुजरता है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जायें)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं।
(xii)	यदि कोई सुरक्षित पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो तो दें।	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या..... पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या पर संलग्न है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्रवाई किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या से तक पर संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या से तक संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यन्वयन एजेंसी :- स्वयं वन विभाग समय :- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० लाख का प्राक्कलन पृष्ठ संख्या से तक संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु रु० लाख का प्राक्कलन पृष्ठ संख्या से तक संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रु० लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। रु० लाख परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्या पर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है जो कि पृष्ठ संख्या पर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	मसूरी वन प्रभाग / जिला - देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	 वर्ग किमी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्रफल	 वर्ग किमी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या है। वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र है० है इसमें आरक्षित वन क्षेत्र है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि - (ख) वनोत्तर भूमि पर -	(क) है० (ख) रिक्त

(v)	अब तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	(क) है0 में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

नाम :-

सरकारी मोहर